न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – नेहा छीपा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 166/2024 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 देवालाल पुत्र मांगीलाल नायक निवासी ग्राम तख्तपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।

.... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

..... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::–

श्री प्रताप सिंह चौहान ——— प्रार्थी अधिवक्ता
राज्य पक्ष तहसीलदार हमीरगढ

–:: निर्णय ::–

दिनांक 02.01.2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन दिनांक 28–11–2024 को प्रा0पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया की प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजियाज सरहद प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य की आराजी बैरून हल्के आबादी ग्राम तख्तपुरा, भू.अभि.नि.क्षेत्र हमीरगढ, तहसील हमीरगढ, जिला भीलवाडा की सरहद मे खसरा संख्या 1452/1095 में वर्णित कृषि भूमि रकबा 0.8599 हेक्टेयर एवं खसरा संख्या 1538/1095 में वर्णित कृषि भूमि रकबा 0.1265 हेक्टेयर जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) मे दर्ज रेकार्ड हैं, प्रमाण मे प्रमाणित प्रति जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। यह कि प्रार्थी की खसरा संख्या 1452/1095 व 1538/1095 में आने जाने का एकमात्र रास्ता विपक्षी की खसरा संख्या 1095 से होकर जाता हैं जो रास्ता मौके पर 16 फिट चौडा हैं और उक्त रास्ते से प्रार्थी पैदल गाडी, संजबैल व ट्रेक्टर से अपनी खसरा संख्या 1095 मे आता जाता है और उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं। प्रार्थी की उक्त वर्णित खसरा संख्या 1452/1095 व 1538/1095 में आने जाने का यही एकमात्र रास्ता हैं इसके अलावा प्रार्थी की आराजी में आने जाने का और कोई रास्ता उपलब्ध नही है। निवेदन हैं कि प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की ग्राम तख्तपुरा, भू.अभि. नि.क्षेत्र हमीरगढ, तहसील हमीरगढ, जिला भीलवाडा की सरहद में खसरा संख्या 1452/1095 में वर्णित कृषि भूमि रकबा 0.8599 हेक्टेयर एवं खसरा संख्या 1538/1095 मे वर्णित कृषि भूमि रकबा 0.1265 हेक्टेयर में आने जाने का जो रास्ता विपक्षी की आराजी संख्या 1095 पर 16 फिट का रास्ता मौजुद हैं

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

उसको गे.मु. सरकारी रास्ते की मद में दर्ज करवाया जावे इस हेतु जो भी क्षतिपुर्ति राशि न्यायालय तय करे वो राशि प्रार्थी विपक्षी को अदा करने के लिए तैयार है।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया प्रस्तुत प्रा0पत्र न्यायालय में दिनांक 03.12.2024 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को वजय जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया विपक्षी राज्य पक्ष की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें किसी प्रकार कोई आपत्ति अंकित नही दी है। तत्पश्चात स्थिति को स्पष्ट कराने के लिए अधिनस्थ तहसीलदार हमीरगढ को प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि में आवागमन के लिए रास्ते के बारे में स्थल निरीक्षण करा मोके की रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। अधिनस्थ तहसीलदार हमीरगढ ने न्यायालय के आदेशानुसार अपने पत्र कमांक राजस्व/2021/212 दिनांक 24.12.2024 से भू0अ0नि हमीरगढ एवं हल्का पटवारी हमीरगढ द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट एवं मोका पर्चा तथा राजस्व नक्शे की प्रति व नजरी नक्शे की प्रति तैयार कर उसमें प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि में खसरा नम्बर 1095 में प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से रोशन करते हुये अपना प्रतिवेदन भिजवाया तहसीलदार की ओर से मोका रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सूनी गई प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 खाता संख्या 365 में अंकित आराजी खसरा संख्या 1452/1095, रकबा 0.8599है. एव खाता संख्या 376 की आराजी संख्या 1538/1095 रकबा 0.1265 है0, पर आने जाने का एकमात्र रास्ता आराजी नम्बर 1095 से होकर गुजरता है जो कि बिलानाम सरकार दर्ज है।

उक्त आराजी भू–भाग में प्रार्थी को आवागमन के लिए रास्ते हेतु भूमि देने में तहसीलदार हमीरगढ ने कोई आपत्ति नही होना अपने पत्र में उल्लेखित किया है। राजकीय बिलानाम भूमि में भी राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013 में एक परिपत्र जारी कर यह आदेश पारित किया की किसी भी खातेदार को अपने खाते की कृषि भूमि में आवागमन हेतु राजकीय बिलानाम भूमि में से रास्ते हेतु भूमि दी जा सकती है। तथा रास्ते के उपयोग के लिए दी जाने वाले भूमि का प्रतिकर स्वरूप राशि का भुगतान सम्बन्धित खातेदार को डी.एल.सी दर की राशि से दुगुनी राशि का भुगतान करना होगा। चुकी प्रार्थी रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि के लिए प्रतिकर स्वरूप भुगतान करने में सहमत है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार योग्य ठहराया जाता है। अतएवः

–::आदेश::–

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपने खाते की कृषि भूमि ग्राम तख्तपुरा पटवार मण्डल तख्तपुरा भू0अ0नि0 हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा में खाता संख्या 365 में अंकित आराजी खसरा संख्या 1452/1095 रकबा 0.8599है. एव खाता संख्या 376 की आराजी संख्या 1538/1095 रकबा 0.1265 है0, में से आवागमन हेतु ग्राम तख्तपुरा पटवार मण्डल तख्तपुरा भू0अ0नि0 हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा के आराजी संख्या 1095 रकबा 2.9463है में से 0.0552है0 अर्थात 552 वर्गमीटर रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ते की भूमि का कुल क्षेत्र तहसीलदार हमीरगढ की रिपोर्ट के अनुसार बिलानाम आराजी संख्या 1095 रकबा 2.9463है में से 0.0552है0 अर्थात 552 वर्गमीटर (92 गुणा 6 वर्गमीटर), भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा (सार्वजनिक उपयोग हेतु) नवीन मार्ग कायम किया जाकर तदनुसार रेकार्ड में अमल–दरामद किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 (आराजी

उपखण्ड अधिकारी

संख्या 1095 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में तहसील हमीरगढ में प्रचलित डी.एल.सी की दुगुनी राशि राज्य कोष में (आराजी संख्या 1095 के वर्तमान खातेदार) रकबा 0.0552है0, मालियत राशि की दुगुनी राशि कुल 70435/—रूपये अदायगी कर दी जावेगी/जमा करा दी जावेगी।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 02.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा